न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 41/22 निर्णय दिनांकः– 08-01-2025
(जीसीएमएस संख्या 2022/170)

1. कमलादेवी पत्नी जेठमल सेठिया निवासी भीनासर तहसील बीकानेर
2. शर्मिला पत्नी धर्मेन्द जाति कोचर निवासी कोचरों का चौक, बीकानेर

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. प्यारेलाल पिसरान मुस्मात भीखी देवी पुत्री बदनाराम पत्नी शिवबक्श जाति माली निवासी नत्थूसर बास, बीकानेर।
1/1. सुषमा पत्नी स्व. प्यारेलाल पिसरान मुस्मात भीखी देवी पुत्री बदनाराम पत्नी शिवबक्श जाति माली निवासी नत्थूसर बास, बीकानेर।
1/2. गौरीशंकर पुत्र स्व. प्यारेलाल पिसरान मुस्मात भीखी देवी पुत्री बदनाराम पत्नी शिवबक्श जाति माली निवासी नत्थूसर बास, बीकानेर।
1/3. बाबूलाल पुत्र स्व. प्यारेलाल पिसरान मुस्मात भीखी देवी पुत्री बदनाराम पत्नी शिवबक्श जाति माली निवासी नत्थूसर बास, बीकानेर।
2. अशोक कुमार पिसरान मुस्मात भीखी देवी पुत्री बदनाराम पत्नी शिवबक्श जाति माली निवासी नत्थूसर बास, बीकानेर।
3. रवि पुत्र मनीषा पुत्री भीखी पिता चौरूलाल जाति माली निवासी भीनासर, बीकानेर।
4. धनश्याम पुत्र नथूराम
5. ओमप्रकाश पुत्र केशूराम
6. बेबी पत्नी ओमप्रकाश
7. रामदेव पुत्र केशूराम
8. मैसाराम पुत्र केशूराम

जाति माली निवासीगण भीनासर हाल पंचमुखा हनुमान मंदिर के पास, बीकानेर।

9. प्रहलाद
10. धनश्याम
11. गोपीकिशन
12. मु.किरण
13. परमेश्वरी

पिसरान भीखी पुत्री बदनाराम पत्नी रामबक्स जाति माली निवासी नत्थूसर बास, बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

14.	भंवरलाल	
15.	भंवरीदेवी	
16.	चन्दूदेवी	पिसरान खेमी पुत्री बदनाराम पत्नी मघाराम जाति माली निवासी नथूसर बास, बीकानेर
17.	सन्तोषदेवी	
18.	गुलाबदेवी	
19.	नाथादेवी	
20.	आशादेवी	

21. फूसाराम पुत्र बदनाराम जाति माली निवासी किसमीदेसर, तहसील व जिला बीकानेर।
22. गोकुल पुत्र बदनाराम जाति माली निवासी किसमीदेसर, तहसील व जिला बीकानेर।
23. लाछी देवी उर्फ लाधु देवी पुत्री बदनाराम जाति माली निवासी सदर बाजार, कोलायत जिला बीकानेर।
24. योगेश कुमार पुत्र जयकिशन अग्रवाल निवासी 53, सादुलगंज बीकानेर।
25. गंगाराम पुत्र वीरभान जाति माली निवासी किसमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
26. अशोक कुमार पुत्र जीयाराम जाति माली निवासी रामपुरा बस्ती तहसील बीकानेर।
27. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, राजस्व, बीकानेर

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक
04–07–2007 व 10–03–2008
उपखण्ड अधिकारी(उत्तर), बीकानेर

उपस्थितः
1. श्री सुरेश कुमार शर्मा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 04–07–2007 व अंतिम डिक्री 10–03–2008 जिसके द्वारा वादीगण का वाद विधि विरूद्व तरीके से डिक्री किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम रोही किसमीदेसर के खसरा नम्बर 784 तादादी 3.65 हेक्टर, खसरा नम्बर 924 तादादी 2.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 925 तादादी 4.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 926 तादादी 0.85 हेक्टर, खसरा नम्बर 927 तादादी 0.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 928 तादादी 0.40 हेक्टर कुल किता 6 तादादी 11. 57 हेक्टर भूमि बदनाराम के वारिसान नत्थू, फूसा, जीया, गोकूल पुत्रगण बदना व खेमी, भीखी, लाछी पुत्री बदना का 1/7 हिस्से में से 11.57 हेक्टर भूमि जिसके पुराने खसरा नम्बर 396/273 में 17 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 397/273 में 21 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 398/274 में 9 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 399/274 में 28 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 4 तादादी 77 बीघा 4 बिस्वा व 18 बिस्वा कुल 78 बीघा 02 बिस्वा भूमि सेटलमेंट से पूर्व खातेदारी में दर्ज रही है। जिसमें खातेदार जीयाराम का 1/7 हिस्सा अर्थात 11 बीघा 03 बिस्वा भूमि हिस्सा बनता है। उक्त भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा अपीलांट् द्वारा खरीद की है और उसके आधार पर हर तरह के हक हकूक मालिकाना काबिजाना अपीलांट्स को हासिल है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने हिस्से के बावत दावा पेश अपीलांट्स सहित अन्य क्रेतागण के बैयनामा शून्य धोषित कराने बावत पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने बाला बाला दिनांक 04–07–07 को प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जिसके खिलाफ न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 31–03–2010 को अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि तहसीलदार, बीकानेर पक्षकारों की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार करवाकर बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड्स अंतिम डिक्री जारी करें। इस प्रकार न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय के

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया जा चुका था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी जैर के बाबत् विभाजन की अंतिम डिक्री विधि अनुरूप जारी नहीं की गई। उक्त आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार पत्रावली को दर्ज रजिस्टर करने के उपरान्त कार्यवाही की जाती रही है व कालान्तर में वादपत्र दिनांक 05–04–2021 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही से अपीलांट्स को उनके विधिक अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है।

उन्होनें आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री को रोके जाने के आदेश के बावजूद भी दिनांक 10–03–2008 को आराजी जैर के बाबत् अंतिम डिक्री जारी कर दी गई। इस प्रकार प्रकरण में यह तथ्य भी विचारणीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उच्चतर न्यायालय के आदेशों के विपरीत जाकर कार्यवाही करते हुए किसी पक्ष विशेष को फायदा पहुँचानें के उद्वेश्य मात्र से तमाम कार्यवाही की गई है। प्रकरण में उल्लेखनीय यह भी है कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् विभिन्न पक्षकारों द्वारा अपने हक व हकूकों की सुरक्षार्थ समय–समय पर अपीलें की जाती रही है तथा न्यायालय हाजा द्वारा उपरोक्त अपीलों में निर्णय भी पारित किये जा चुके है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों की सुरक्षार्थ अपील पेश की गई है। प्रकरण में चूंकि अपीलांट्स वादग्रस्त भूमि के सद्भावी क्रेता है तथा आराजी जैर पर उनके अधिकार स्थापित हो चुके है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांके 04–07–2007 व अंतिम डिक्री दिनांक 10–03–2008 अपीलांट्स द्वारा जरिये पंजीकृत बैयनामा खरीदशुदा भूमि की हद तक अपीलांट्स की अपील उनके धारण का भूमि की हद तक स्वीकार की जाकर राजस्व रिकार्ड में अपीलांट्स का नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा मियाद के बिन्दु पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट्स एक महिला जाति की व्यक्ति है, जिसे न्यायालय के दिन–प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी नहीं रही है तथा संबंधित अधिवक्ता द्वारा प्रकरण की जानकारी प्राप्त करने पर उनके द्वारा कभी कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई। तब अपीलांट्स द्वारा अन्य वकील से जानकारी प्राप्त की गई तो यह जानकारी मिली की दिनांक 05–07–2007 को ही हमारे विरूद्व निर्णय पारित हो चुका

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

है। तब अपीलांट्स द्वारा बिना किसी देरी के जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। विधि का भी यह सुविस्थापित सिद्वान्त है कि जहॉ पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो, वहॉ न्यायालय को मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाना चाहिए। लिहाजा अपीलांट्स का मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2022 पार्ट I पेज 492, आरआरडी 2008 पेज 804, आरआरडी 1976 पेज 502, आरआरटी 2014 पार्ट II पेज 881, आरआरडी 1998 पेज 319 व एआईआर 1981 पेज 1401 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट्स को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 10–04–2008 की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है एवं वह न्यायालय के समक्ष निरन्तर उपस्थित आते रहे है तथा उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब भी पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में उनका यह कथन की उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी नहीं रही है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील मियाद के बिन्दु पर ही अस्वीकार कर खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10–03–2008 के विरूद्व न्यायालय हाजा के समक्ष पूर्व में सह खातेदारों द्वारा अपील पेश की गई थी, जिसमें अपीलांट्स बतौर पक्षकार स्थापित थे तथा उनकी उपस्थिति में ही न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 31–03–2008 को प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में पुनः उन्हीं बिन्दुओं पर अपील करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। प्रकरण में उल्लेखनीय यह भी है कि न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 31–03–2008 के अनुसरण में अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आ चुके थे। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने अधिकारों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही चाराजोई करनी चाहिए थी। प्रकरण में चूंकि न्यायालय द्वारा स्वमेव आदेश दिनांक 31–03–2008 के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

के आदेश को निरस्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में पुनः उसी आदेश के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवेचन अंकित करते हुए आदेश पारित करने का कोई औचित्य नहीं रह जाने से अपीलांट्स की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में वादग्रस्त भूमि ग्राम रोही किसमीदेसर के खसरा नम्बर 784 तादादी 3.65 हेक्टर, खसरा नम्बर 924 तादादी 2.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 925 तादादी 4.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 926 तादादी 0.85 हेक्टर, खसरा नम्बर 927 तादद्दी 0.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 928 तादादी 0.40 हेक्टर कुल किता 6 तादादी 11.57 हेक्टर भूमि जिसके पुराने खसरा नम्बर 396/273 में 17 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 397/273 में 21 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 398/274 में 9 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 399/274 में 28 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 4 तादादी 77 बीघा 4 बिस्वा व 18 बिस्वा कुल 78 बीघा 02 बिस्वा भूमि में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 द्वारा अपने हक व हिस्से की भूमि के बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी जैर के बाबत् दिनांक 04–07–2007 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री व कालान्तर में दिनांक 10–03–2008 को अंतिम डिक्री जारी की गई। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 10–03–2008 के विरूद्व न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश की गई। जिसमें अपीलांट्स बतौर पक्षकार स्थापित थे, तथा उनकी उपस्थिति में ही न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 31–03–2008 को आदेश पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 10–03–2008 को निरस्त करते हुए प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 10–03–2008 की विधिक दृष्टिकोण से विवेचना एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपना मत व्यक्त करते हुए उक्त निर्णय व डिक्री को निरस्त करते हुए पुनः विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए नये सिरे से प्राथमिक डिक्री जारी करने तथा तहसीलदार, बीकानेर से पक्षकारों की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार कर बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अंतिम डिक्री जारी करने के आदेश पारित किये जा चुके है ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण में भी वादग्रस्त भूमि के बाबत् तथ्य समान होने के कारण अपीलांट्स को अन्य किसी प्रकार से कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकता है। प्रकरण में चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3/वादीगण का लम्बित वादपत्र दिनांक 05–04–2021 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। अपीलांट्स उक्त वादपत्र में बतौर प्रतिवादीगण स्थापित रहे है, अपीलांट्स वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों की सुरक्षार्थ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र को पुनः रेस्टोर करवाते हुए एवं बतौर वादी स्थापित होते हुए अपने अधिकारों की सुरक्षा करने हेतु स्वतन्त्र है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक 08-01-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर